>

Title: Need to implement the recommendations of Gautam Mitra Committee constituted to look into the discrepancies pertaining to promotions in Store-keeper and clerical cadres in Defence Organisations.

श्री हरिकेवल प्रसाद (सतेमपुर) : सेना आयुध कोर निदेशालय अपने ही अधीन कार्य करने वाले विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों में भेद्भाव कर रहा है। इस लाभ से वंचित वर्ग के कर्मचारियों में व्यापक असंतोष है। स्टोर कीपर वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति सहित अन्य लाभ दिये जा रहे हैं वहीं समान कार्य करने वाले लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखा गया है।[s20]

इस विसंगति को दूर करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने दिसम्बर, 1988 में ब्रिगेडियर गौतम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस कमेटी ने लिपिक वर्ग एवं स्टोरकीपर वर्ग के लिए पदोन्नति करने हेतु अध्ययन करके अपनी जांच रिपोर्ट 13 मई को महानिदेशक, सेना आयुध को सौंप दी थी। उक्त कमेटी ने इस बात की अनुशंसा भी की थी कि स्टोरकीपर और लिपिक वर्ग को साथ मिला कर एक नया वर्ग बना दिया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं हो, तो उनकी पदोन्नति में 60 प्रतिशत लिपिक एवं 40 प्रतिशत स्टोरकीपर वर्ग से भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खेद है कि दो दशक बाद भी इस कमेटी की संस्तुति लागू नहीं की गई। कतिपय दबाव के चलते कमेटी की संस्तुति को लागू करने की मांग बढ़ रही है, लेकिन उसकी अनदेखी की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि उक्त कमेटी की अनुशंसा को लागू करके देश भर की सेना के वंचित कर्मचारियों को समायोजित करने की कृपा करे।

MR. CHAIRMAN: You can raise only one matter.